प्रेस विज्ञप्ति

25.09.2025

मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को मेसर्स गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) और अन्य के विरुद्ध दर्ज दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) के मामले में 20.09.2025 को संज्ञान लिया और आदेशिका जारी की। उक्त पूरक शिकायत में दो व्यक्तियों/संस्थाओं को नए आरोपी के रूप में नामित किया गया है। ये हैं: मेसर्स प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी, जो प्रवीण राउत और मेसर्स मेहता डेवलपर्स के मालिक जितेंद्र मदनलाल मेहता की साझेदारी फर्म है। इन पर अपराध की आय को वैध बनाने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स जीएसीपीएल, राकेश कुमार वधवान, सारंग कुमार वधवान और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो कि म्हाडा, मुंबई के कार्यकारी अभियंता द्वारा दर्ज की गई शिकायत और 11.12.2020 के आरोप पत्र पर आधारित है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स जीएसीपीएल, जिसे 672 किरायेदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चॉल परियोजना के पुनर्विकास का काम सौंपा गया था, गंभीर वित्तीय कदाचार में शामिल रही है।
सोसाइटी, म्हाडा और जीएसीपीएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत डेवलपर (जीएसीपीएल) को 672 किरायेदारों को फ्लैट उपलब्ध कराने, म्हाडा के लिए आनुपातिक क्षेत्र विकसित करने और उसके बाद शेष भूमि क्षेत्र में अपना हिस्सा बेचने की योजना थी। हालाँकि, मेसर्स जीएसीपीएल के निदेशकों ने म्हाडा को गुमराह किया और 672 विस्थापित किरायेदारों और म्हाडा के हिस्से के पुनर्वास हिस्से का निर्माण किए बिना ही डेवलपर्स को धोखाधड़ी से फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) बेच दिया।

ईडी की जांच से पता चला है कि पीओसी का एक हिस्सा, जिसकी कीमत 95 करोड़ रुपये है, मेसर्स जीएसीपीएल के निदेशक प्रवीण राउत ने अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था, जिसका इस्तेमाल किसानों या लैंड एग्रीगेटर्स से सीधे अपने नाम पर या अपनी फर्म मेसर्स प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी के नाम पर विभिन्न भूमि पार्सल हासिल करने के लिए किया था। अन्य आरोपी, मेसर्स मेहता डेवलपर के मालिक जितेंद्र मेहता, 2003 से मेसर्स जीएसीपीएल के निदेशक/प्रमोटर श्री राकेश कुलदीपसिंह वधवान के करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र थे। राकेश कुलदीपसिंह वधावन ने पीओसी का प्रतिनिधित्व करते हुए धन का इस्तेमाल किया और मेसर्स जीएसीपीएल की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जितेंद्र मेहता की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स मेहता डेवलपर्स के बैंक खाते का संचालन भी किया।

हाल ही में, ईडी ने जितेंद्र मेहता और उनके परिवार के सदस्यों की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह प्रवीण राउत और उनके सहयोगियों की 73.62 करोड़ रुपये की संपत्ति, प्रवीण राउत और संजय राउत की 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति और राकेश कुमार वधवान और सारंग वधवान की 31.50 करोड़ रुपये की संपत्ति, इस कार्यालय द्वारा पहले ही कुर्क की जा चुकी है। कुल मिलाकर, ईडी ने इस मामले में अब तक 121.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

इससे पहले, ईडी ने 01.04.2022 को मुख्य अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 15.09.2022 को एक एसपीसी दर्ज की गई थी। वर्तमान एसपीसी ने मनी ट्रेल और पीओसी के शोधन के तौर-तरीकों को स्थापित करके मामले को और मजबूत किया है, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने इस दूसरी एसपीसी में सभी नए नामित अभियुक्तों को समन जारी किया है।